



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2017-अग्रहायण 17, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, आशीष सिंह यादव पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह यादव, निवासी-एन. ब्लॉक, गोकुल अपार्टमेंट के पीछे, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.) यह कि प्रार्थी का नाम सभी आवश्यक दस्तावेजों में आशीष सिंह यादव है जबकि बचत खाता बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सिटी सेंटर एवं एल.आई.सी. की पॉलीसी में अभिषेक सिंह यादव अंकित है. सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अभिषेक सिंह यादव की जगह आशीष सिंह यादव के नाम से जाना जाये. जो सही व सत्य है.

पुराना नाम :

(अभिषेक सिंह यादव)

(536-बी.)

नया नाम :

(आशीष सिंह यादव)

पुत्र-श्री राजेन्द्र सिंह यादव,
निवासी-एन. ब्लॉक, गोकुल अपार्टमेंट के पीछे,
सिटी सेन्टर, ग्वालियर(म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-सूचित हो कि मेरी एलआईसी की कुछ पॉलिसियों में मेरा नाम दिलीप कुमार दिवाकर लिखा गया है जबकि मेरे बैंक खाता एवं पहचान पत्रों में मेरा नाम दिलीप कुमार लिखा हुआ है. अतः यह दोनों नाम मेरे ही हैं.

पुराना नाम :

(दिलीप कुमार दिवाकर)

(525-बी.)

नया नाम :

(दिलीप कुमार)

म. नं. 328, न्यू कॉलोनी नं. 1,
बिरला नगर हजीरा, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम पूर्व में मोक्ष राठौर (MOKSHA RATHOR), सभी अंकसूची में उल्लेखित है जो अंग्रेजी में स्पेलिंग त्रुटि है जिसमें सुधार करवाकर मेरे पुत्र के नया नाम की स्पेलिंग मोक्ष राठौर (MOKSH RATHORE) हो गया है. अतः अब मेरे पुत्र को नये नाम से जाना एवं पहचाना जाये एवं उसके सभी शैक्षणिक अंकसूचियों में नया नाम अंग्रेजी स्पेलिंग लिखी व पढ़ी जावे.

रेखा राठौर,

म. नं. 189, नया बसेरा, कोटरा,
कमला नगर, भोपाल (म.प्र.).

(532-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ओम कंस्ट्रक्शन कम्पनी पंजीयन क्रमांक 1018, दिनांक 25-09-1982 है। पंजीकृत फर्म के कार्यालय का पूर्व पता राम हाउस घोघर रीवा, जिला रीवा था. जो अब 01-04-2016 से बदलकर H-713, एयरटेल एक्सचेंज के सामने, खेरमाई रोड, सतना, जिला सतना (मध्यप्रदेश) हो गया है।

फर्म-मैसर्स ओम कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
अशोक श्रीवास्तव,
 (भागीदार)
 राम हाउस, घोघर, जिला रीवा (म.प्र.).

(523-बी.)

NOTICE**U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firms "M/s. SAI SAMANARAM PROPERTIES" of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/00348/10 2010-2011, date of Registration 15-11-2010 undergone the following changes:-

1. That Shri Bhupendra Kumar Pahuja S/o Shri Kripaldas Pahuja has joined the firm *w.e.f.* 01-09-2017 and Shri Narendra Kataria S/o Shri Madhavdas Kataria has desire to retire from the partnership firm *w.e.f.* 31-08-2017.
2. That the principal palace of the business of partnership firm is shifted at A-48, Sant Kanwar Ram Nagar, Berasia Road, Bhopal *w.e.f.* 01-09-2017.

M/s. Sai Samanaram Properties,
PANKAJADWANI,
 (Partner)
 A-48, Sant Kanwar Ram Nagar,
 Berasia Road, Bhopal (M.P.).

(526-B.)

NOTICE**U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firms "M/s. SUREWIN MARKETING " of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/00115/13, 2013-2014, date of Registration 22-05-2013 undergone the following changes:-

1. That Shri Mahesh Batra S/o Late Shri Ramdittamal Batra has joined the firm and Shri Santosh Bhadoriya S/o Shri Parmanand Bhadoriya has desire to retire from the partnership firm *w.e.f.* 30-09-2017.

M/s. Surewin Marketing,
JAGDISH KUMAR ARORA,
 (Partner)

(527-B.)

23, Zone-2, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.).

PUBLIC NOTICE

Know all men that 4 partners Shri Rakesh Kumar Jain, Smt. Sadhana Jain, Shri Nitin Kumar Jain & Smt. Preeti Jain has been retired from the Registered Firm M/s. Shri Jain Developers, [Registration No. 04/14/01/00400/12, year 2011-2012, Date 14-02-2012], Jabalpur *w.e.f.* 24-08-2017. Now the firm has four partners as Shri Akhilesh Jain, Shri Anand Jain, Smt. Richa Jain & Shri Vivek Jain.

That the registered Office of the Firm M/s. Shri Jain Developers, [Registration No. 04/14/01/00400/12, year 2011-12 Dt. 14-02-2012], Jabalpur has been shifted from C/o Shri Anand Jain, Plot No. 1/2B, 1st Floor, Chamber No. 1, Opp. Sales Tax Office, Jabalpur *w.e.f.* 24-08-2017.

For M/s. Shri Jain Developers,
AKHILESH JAIN,
 (Partner).
 Jabalpur.

(528-B.)

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स प्रेसटीज कन्स्ट्रक्शन जिसका पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं भोपाल में पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0294/15, दिनांक 23-10-2015 को जिसका पता ए-87, सुविध बिहार कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल साझेदार हरजीत सिंह पनेसर एवं नन्द किशोर पाटीदार के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स प्रेसटीज कन्स्ट्रक्शन भागीदार क्र. (1) हरजीत सिंह पनेसर, (2) नन्द किशोर पाटीदार है जिसमें कि दिनांक 03-08-2017 को साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया है जिसमें नन्द किशोर पाटीदार पुत्र श्री भेरू सिंह पाटीदार, निवासी 68, रामानन्द नगर लालघाटी, भोपाल मध्यप्रदेश के भागीदार के स्थान पर श्रीमति मनमीत कौर पति श्री हरजीत सिंह पनेसर, निवासी 28, नीलकण्ठ कॉलोनी ईदगाह हिल्स, भोपाल को सम्मिलित/शा मिल किया है उक्त साझेदार भागीदार क्र.2 कहलायेगा एवं साथ ही फर्म के पते में भी संशोधन किया गया है. जिसका नया पता 28, नीलकण्ठ कॉलोनी ईदगाह हिल्स, भोपाल रहेगा. उक्त भागीदार संशोधन विलेखानुसार नये साझेदार को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होंगे.

PRESTIGE CONSTRUCTION,

1. हरजीत पनेसर,
 2. नंदकिशोर पाटीदार,
- (Partner).

(529-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. सांवरिया एग्रो इण्डस्ट्रीज, पता प्लाट नम्बर 17,18,19,20 इण्डस्ट्रीयल एरिया, नीमच मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 07/34/01/0093/17, दिनांक 22-11-2017 है. जिसमें दिनांक 04-07-2017 को श्री संजय सोनी पिता श्री दशरथलाल जी सोनी, पता मकान नम्बर 32, वल्लभ भाई पटेल मार्ग नीमचसिटी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये है उक्त दिनांक 04-07-2017 से इस फर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है. फर्म मे. सांवरिया एग्रो इण्डस्ट्रीज का नाम परिवर्तन कर फर्म का नवीन नाम मेसर्स नीमच एग्रोटेक दिनांक 04-07-2017 को कर दिया है एवं पता प्लाट नम्बर 17,18,19,20 इण्डस्ट्रीयल एरिया नीमच से बदलकर प्लाट नम्बर 17,20 इण्डस्ट्रीयल एरिया नीमच कर दिया गया है प्लाट नम्बर 17, 20 इण्डस्ट्रीयल एरिया नीमच म.प्र. से कार्यरत रहेगी.

वर्तमान में इस फर्म मेसर्स नीमच एग्रोटेक में निम्नानुसार भागीदार रह गये हैं.

For Neemuch Agrotech,

1. नितेश सोनी,
 2. वर्धित लोढा,
 3. धर्मेन्द्र वर्मा,
- (Partner).

(530-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. श्री पटेल एग्रो मकान नं. 172, वार्ड नं. 24 राजपुरा, बुरहानपुर भागीदारी फर्म में समय समय पर निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं. जो निम्नानुसार हैं.

फर्म में सम्मिलित होने वाले भागीदार:- दिनांक 01-04-1998 से

1. श्री अमित कुमार पटेल पिता श्री उमेश कुमार पटेल फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए है एवं फर्म से पृथक् (रिटायर्ड) होने वाले भागीदार:- दिनांक 01-04-1998 से

1. श्री परेश पटेल पिता श्री कांतीलाल पटेल

फर्म में सम्मिलित होने वाले भागीदार:- दिनांक 01-04-2001 से

2. श्री प्रफुल्ल कुमार पटेल पिता श्री परसराम पटेल
3. श्रीमती पुनमबेन पटेल पति श्री देवानंद पटेल

फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए है. एवं

फर्म से पृथक् (रिटायर्ड) होने वाले भागीदार:- दिनांक 01-04-2001 से

श्रीमती रंजनाबेन पटेल पति श्री विनोद कुमार पटेल

फर्म में सम्मिलित होने वाले भागीदार:- दिनांक 01-08-2017 से

1. श्री उमेश कुमार पटेल पिता श्री परसराम पटेल
2. श्रीमती अर्चना पटेल पति श्री अमीत कुमार पटेल
3. श्रीमती स्वेता पटेल पति श्री सुमित पटेल

फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं एवं

फर्म से पृथक् (रिटायर्ड) होने वाले भागीदार :- दिनांक 01-08-2017 से

श्री प्रफुल्ल कुमार पटेल पिता श्री परसराम पटेल

श्रीमती पूनमबेन पटेल पति श्री देवानंद पटेल

दिनांक 01-08-2017 से मे. श्री पटेल एग्री फर्म में निम्न भागीदार क्रियाशील हैं.

1. श्री अमीत कुमार पटेल पिता श्री उमेश कुमार पटेल
2. श्री उमेश कुमार पटेल पिता श्री परसराम पटेल
3. श्रीमती लाजवंती पटेल पति श्री उमेश कुमार पटेल
4. श्रीमती अर्चना पटेल पति श्री अमीत कुमार पटेल
5. श्रीमती स्वेता पटेल पति श्री सुमित पटेल

इसके अतिरिक्त फर्म के पते (स्थान) में भी परिवर्तन किया गया है. जो निम्नानुसार है भवन क्रमांक 431/2 रास्तीपुरा बुरहानपुर हो गया है.

वास्ते—मे. श्री पटेल एग्री

अमीत कुमार पटेल,

(Partner).

(531-बी.)

सूचना

सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स ने दिनांक 01-07-2017 से फर्म के वर्तमान पते B.T.I. के पास तलैया फील्ड, पन्ना को बदलकर E 7/60, अशोका सोसाईटी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल कर लिया है.

M/s. Triveni Infrastructers,

एस. के. अग्रवाल,

(Partner).

(533-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म ए.वी.ए. इन्वेस्टमेंट कन्सलटेंट जिसके भागीदार अरूण गौतम एवं अनुराग शुक्ला, पता-40-जी, बख्तावर राम नगर, इन्दौर यह सूचित करते हैं कि हमारी फर्म एक भागीदारी फर्म होकर उक्त फर्म में हम कुल तीन भागीदार थे, जिसमें से विकास राठी पिता श्री गिरधरगोपाल राठी, निवासी 38, संजय नगर, इन्दौर जिन्होंने उक्त भागीदारी फर्म से अपनी भागीदारी दिनांक 26-05-2017 से समाप्त कर ली है, जिनका उक्त फर्म से संपूर्ण लेन-देन पूर्ण हो चुका है, अब उनका उक्त फर्म से किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है. उक्त दिनांक के पश्चात् से यदि श्री विकास राठी का उक्त फर्म से किसी भी प्रकार का कोई अन्य व्यक्ति, संस्था आदि कोई संव्यवहार करती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी विकास राठी की होगी जिसका कोई भी दायित्व फर्म का नहीं रहेगा. सो सूचित हो.

AVA Investment Consultant,

1. अरूण गौतम,

2. अनुराग शुक्ला,

(भागीदार).

(534-बी.)

NOTICE FOR CHANGE IN PARTNERSHIP

This is to publicly notify that, effective from 28.01.2011 Shri Narbadn Prasad Sharma S/o Shri Kisan Prasad Sharma and Shri N.K. Sharma S/o Shri Kishan Prasad Sharma R/o Khari Phatak Road Vidisha, Smt. Rita Gaur W/o Shri Jayant Gaur and Shri Govind Sharma S/o Shri Duga Prasad Sharma R/o Shri Ram Nagar, Vidisha have retired from the partnership firm obtaining their business of manufacturing & distribution of Pesticides and insecticides under the name of "M/s Union Pesticides" vide partnership retirement deed executed on that date. Shri Pratap Bhanu Sharma S/o Shri Kishan Gopal Sharma and Shri Chandra Bhanu Sharma S/o Shri Krishan Gopal Sharma both R/o Shri Ramnagar Vidisha. He existing partners shall continue to operate business (under the name and style of M/s UNION PESTICIDES as consented by the retired partners. All accounts have been settled and representation taken that assets & liabilities other than those noticed shall not

be entertained by the aforementioned firm. However, if any person(s) has any liability or objection or any other issue that they deem important to bring to the notice of the new management of M/s Union Pesticides, they may do so within 15 days from the date of this notice *i.e.* 7.12.2017 by directly contacting the undersigned in person or otherwise. No claim of issue of objection shall be entertained after this date.

M/s Union Pesticides,
CHANDRA BHANU SHARMA,
(Partner)
Shri Ramnagar, Vidisha (M.P.).

(535-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, आगर, जिला आगर

रा.प्र.क्र.02/बी-113/2015-16.

आगर, दिनांक 16 नवम्बर, 2017

प्ररूप क्र. 4

[नियम 5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (2) के द्वारा]
लोक न्यासों के पंजीयक आगर, जिला आगर-मालवा के समक्ष

आवेदक घनश्याम मंगल, निवासी कानड, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में श्री कनकेश्वर महादेव मंदिर एवं धर्मशाला ट्रस्ट कस्बा कानड, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखे हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

- लोक न्यास का नाम : श्री कनकेश्वर महादेव मंदिर एवं धर्मशाला ट्रस्ट कस्बा कानड, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश में चल सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य रुपये-491149.00 नगदी (अक्षरी रुपये चार लाख इक्यान्वे हजार एक सौ उनचास मात्र).

एन. एस. राजावत,
पंजीयक.

(1703)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगौन

रा.प्र.क्र.01/बी-113(1)/2017-18.

फॉर्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951, (क्रमांक 30-1951) की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत] समक्ष पंजीयक, लोक न्यास.

चूँकि प्रार्थी प्रबंधक "रोटरी खरगौन चेरीटेबल ट्रस्ट" द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	
1.	चल सम्पत्ति	निरंक	निरंक	-
2.	अचल सम्पत्ति	निरंक	निरंक	-

(1704)

राजेन्द्र सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र.07/बी/113-2006-07.

प्रारूप-तृतीय

(नियम पाँच-1 देखिये)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत]

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि श्री सुरेश पिता झिपरु सांगरे, निवासी कडियावाडी सिलमपुरा वकिंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष श्री सकलपंच कुमावत समाज ट्रस्ट कडियावाडी सिलमपुरा, तहसील बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. लोक न्यास का नाम | : | वकिंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष श्री सुरेश पिता झिपरु सांगरे |
| और पता | : | निवासी कडियावाडी सिलमपुरा आवेदक श्री सकलपंच कुमावत समाज ट्रस्ट कडियावाडी सिलमपुरा, तहसील बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर. |
| 2. चल सम्पत्ति | : | बैंक ऑफ इण्डिया, बुरहानपुर में नगद राशि रु. 131000/- |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | ग्राम सिलमपुरा बुरहानपुर ब्लाक नम्बर 53, प्लॉट नम्बर 117 रकबा 2393 वर्गफिट. |

जारी दिनांक: 10 नवम्बर, 2017

(1705)

सोहन कनाश,
पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, कुक्षी, जिला धार

कुक्षी, दिनांक 3 नवम्बर, 2017

फॉर्म-4

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम, 1951 (तीसवां) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक मोहम्मद जहुर पिता बशीर मोहम्मद खां, निवासी ग्राम बाग, तहसील कुक्षी, प्रबंधक मदरसा अनवारउलूम बाग, तहसील कुक्षी, जिला धार ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-35 के अंतर्गत अनुसूची में उल्लेखित पंजीकृत सार्वजनिक न्यास के ट्रस्टियों के नाम बदलने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिनकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 को प्रातः 11 बजे की जावेगी.

2. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त पंजीकृत न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर

दो प्रति में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम : मदरसा अनवारउलूम बाग, तहसील कुक्षी, जिला धार.
2. नवीन ट्रस्टियों के नाम :
 - (1) मोहम्मद जहुर पिता बशीर मोहम्मद खां, निवासी बाग, तहसील कुक्षी-प्रबंधक.
 - (2) मोहम्मद रहीस खां पिता हाजी मोह. अखतर खां, निवासी बाग, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (3) शेर मोहम्मद पिता हाजी मोहम्मद नवाब खां, निवासी बाग, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (4) मोहम्मद नईम पिता मोहम्मद जहुर खां, निवासी बाग, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (5) हाजी नूर खत्री पिता कासमजी रंगारा, निवासी बाग, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (6) डॉ. जफर खां पिता हाजी मोहम्मद नवाब खां, निवासी बाग, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (7) हाजी अशरफ खां पिता शब्बीर खां, निवासी बाग, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.
 - (8) फिरोज खां पिता शफी मोहम्मद काजी, निवासी बाग, तहसील कुक्षी-ट्रस्टी.

ऋषभ गुप्ता, (I.A.S.)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(1706)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन

प्रकरण क्र.0003/बी-113/2017-18.

उज्जैन, दिनांक 13 नवम्बर, 2017

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक संरक्षक महामण्डलेश्वर श्री 1008 श्री अभिरामदासजी त्यागीजी महाराज द्वारा "श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम धार्मिक व पारमार्थिक न्यास उज्जैन, पता-02, मंगल भवन श्री विशाला देवास रोड, उज्जैन", तहसील व जिला उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन, लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	:	“श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम धार्मिक व पारमार्थिक न्यास उज्जैन”,
कार्यालय	:	02, मंगल भवन श्री विशाला देवास रोड, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	अचल सम्पत्ति हेतु भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत न होने से निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति के रूप में बैंक खाते की प्रति प्रस्तुत न करने से निरंक.

शितिज शर्मा,

पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

(1707)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 23 नवम्बर, 2017


आदेश

आदेश क्रमांक/मा.चि./स्था.आ./726

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्नानुसार आकृति का बीट हेमर वन परिक्षेत्र अधिकारी खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्र को इस कार्यालय के चालान नम्बर 20, दिनांक 24 जुलाई, 2008 के द्वारा प्रदाय किया गया था. वन परिक्षेत्र अधिकारी खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्र ने अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक/61, दिनांक 25 जनवरी, 2017 के द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया है, कि श्री चन्द्रशेखर चौहान, वनरक्षक बीट गार्ड पीपरटोला के बीट भ्रमण के दौरान बस्ता (थैला) फट जाने से बीट हेमर दिनांक 10 जनवरी, 2017 को गुम हो चुका है, खोज-बीन की गई किन्तु नहीं मिला. गुमशुदा बीट हेमर की प्राथमिकी रिपोर्ट पुलिस थाना खैरलांजी में दिनांक 16 जनवरी, 2017 को दर्ज की गई. उक्त बीट हेमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहे. अतः वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उक्त गुमशुदा बीट हेमर को हेमर रजिस्टर से एवं शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया जाता है

उक्त बीट हेमर की कीमत राशि रुपये 270.00 (रुपये दो सौ सत्तर मात्र) श्री चन्द्रशेखर चौहान, वनरक्षक, बीट गार्ड पीपरटोला, परिक्षेत्र खैरलांजी (सा.) से एकमुश्त उनके वेतन से वसूल करने के लिये आदेश दिया जाता है तथा शासकीय कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण भविष्य के लिए चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

निम्न दर्शित बीट हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो उक्त हेमर को निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में तत्काल ही जमा करें. यदि कोई व्यक्ति उक्त हेमर को अवैधानिक रूप से अपने पास रखते हुये, प्रयोग करते हुये पाया जावेगा, तो उस पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 बी के अनुसार अभियोजन चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागीदार होगा. गुमशुदा बीट हेमर की आकृति दर्शित हैं



देवप्रसाद जे.

वनमण्डलाधिकारी.

(1737)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 25 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2414.—पंचमहल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिरसुला, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./जी. डब्लू.आर./306, दिनांक 25 मई, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1012, दिनांक 29 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक श्री अजय दुबे, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जा कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पंचमहल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिरसुला, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(1708)

ग्वालियर, दिनांक 25 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2415.—वैभव लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./853, दिनांक 12 सितम्बर, 1996 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2368, दिनांक 03 सितम्बर, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री अजय अरहूजा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वैभव लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(1709)

ग्वालियर, दिनांक 25 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/2416.—आदिवासी कल्याण सहकारी संस्था मर्या., बरही, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./552, दिनांक 22 फरवरी, 1991 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./479, दिनांक 21 दिसम्बर, 1999 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री अजय दुबे, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदिवासी कल्याण सहकारी संस्था मर्या., बरही, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(1710)

अनुभा सूद,

उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 06 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1647.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/602, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, टोरीटिगरा पोष्ट छीरखेड़ा, तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./795, दिनांक 11 जुलाई, 2012 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ.एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, टोरीटिगरा पोष्ट छीरखेड़ा, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999

के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, टोरीटिंगरा पोष्ट छीरखेड़ा, तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./795, दिनांक 11 जुलाई, 2012 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1711)

विदिशा, दिनांक 06 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1648.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/395, दिनांक 17 अप्रैल, 2014 से किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंगरवाड़ा, तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./716, दिनांक 03 जुलाई, 2006 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ.एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंगरवाड़ा, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंगरवाड़ा, तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./716, दिनांक 03 जुलाई, 2006 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1712)

विदिशा, दिनांक 06 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1649.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1135, दिनांक 13 जनवरी, 2015 से मांझी मछुआ कल्याण मत्स्य विकास सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./346, दिनांक 06 अप्रैल, 1989 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा मांझी मछुआ कल्याण मत्स्य विकास सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांझी मछुआ कल्याण मत्स्य विकास सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./346, दिनांक 06 अप्रैल, 1989 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1713)

विदिशा, दिनांक 10 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1697.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/591, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ाजागीर, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./732, दिनांक 31 जुलाई, 2007 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, नटेरन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ाजागीर, तहसील नटेरन, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ाजागीर, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./732, दिनांक 31 जुलाई, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1714)

विदिशा, दिनांक 10 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1698.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/686, दिनांक 23 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, थानावीरान पोष्ट झूकरजोगी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./640, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अरविंद रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, लटेरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, थानावीरान पोष्ट झूकरजोगी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, थानावीरान पोष्ट झूकरजोगी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./640, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1715)

विदिशा, दिनांक 10 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1699.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/596, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से श्री सुभाषचंद्र बोस हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., चौड़ाखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./526, दिनांक 16 मार्च, 1995 को परिसमापन में लाया जाकर श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सिरोंज को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा श्री सुभाषचंद्र बोस हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., चौड़ाखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुभाषचंद्र बोस हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., चौड़ाखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./526, दिनांक 16 मार्च, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1716)

विदिशा, दिनांक 10 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1691.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1992/1516/अ, दिनांक 25 जून, 1992 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/104, दिनांक 05 फरवरी, 2016 से ग्रामीण हरिजन बेरोजगार मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., पगरानी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./258, दिनांक 20 जुलाई, 1984 को परिसमापन में लाया जाकर श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सिरोंज को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा ग्रामीण हरिजन बेरोजगार मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., पगरानी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण हरिजन बेरोजगार मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., पगरानी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./258, दिनांक 20 जुलाई, 1984 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाँडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1717)

विदिशा, दिनांक 10 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1692.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/595, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से मांझी महिला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./749, दिनांक 21 अक्टूबर, 2009 को परिसमापन में लाया जाकर श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सिरोंज को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा मांझी महिला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांझी महिला मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./749, दिनांक 21 अक्टूबर, 2009 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाँडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1718)

विदिशा, दिनांक 10 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1693.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/676, दिनांक 20 मई, 2016 से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पामाखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./766, दिनांक 18 नवम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया जाकर श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सिरोंज को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पामाखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999

के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पामाखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./766, दिनांक 18 नवम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1719)

विदिशा, दिनांक 10 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1694.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/677, दिनांक 20 मई, 2016 से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तरवरिया, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./799, दिनांक 11 सितम्बर, 2012 को परिसमापन में लाया जाकर श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सिरोंज को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तरवरिया, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तरवरिया, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./799, दिनांक 11 सितम्बर, 2012 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1720)

विदिशा, दिनांक 10 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1695.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/675, दिनांक 20 मई, 2016 से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, परसोरा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./798, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को परिसमापन में लाया जाकर श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सिरोंज को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, परसोरा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, परसोरा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./798, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1721)

विदिशा, दिनांक 10 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1696.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/636, दिनांक 13 मई, 2016 से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ाजागीर पोष्ट बरखेड़ाजागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./797, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, नटेरन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ाजागीर, पोष्ट बरखेड़ाजागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ाजागीर, पोष्ट बरखेड़ाजागीर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./797, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

ए. के. सिंह,

उप-पंजीयक.

(1722)

कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1476.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सिमरन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	185/05-09-2013	700/23-06-2017
2.	सहजन साख सहकारी संस्था मर्या., सॉवेर		700/23-06-2017
3.	सहारा सिटी होम्स सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2654/07-03-2014	700/23-06-2017
4.	संभव सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	154/05-09-2013	700/23-06-2017
5.	संकल्प साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	057/05-09-2013	700/23-06-2017
6.	सखी हस्तकला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1931	700/23-06-2017
7.	रेलवे पुलिस कर्मचारी भण्डार, इन्दौर		700/23-06-2017
8.	रेशम उद्योग सह. संस्था मर्या., हातोद		700/23-06-2017
9.	रानीपुरा साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	120/05-09-2013	700/23-06-2017
10.	राजा बख्तावरसिंह साख संस्था मर्या., इन्दौर	1920/03-11-1998	700/23-06-2017
11.	राजा राजेश्वरी साख संस्था मर्या., इन्दौर	043/05-09-2013	700/23-06-2017
12.	राहील महिला साख	066/05-09-2013	700/23-06-2017
13.	राउ विश्वकर्मा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., राउ	564/15-12-1952	700/23-06-2017
14.	श्री गुरुतेकचंद सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2664/07-03-2014	700/23-06-2017

1	2	3	4
15.	श्री नाथ साख	1734/05-08-1995	700/23-06-2017
16.	श्री दुर्गा शक्ति सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2668/07-03-2014	700/23-06-2017
17.	श्री साई साख संस्था मर्या., इन्दौर	223/05-09-2013	700/23-06-2017
18.	श्री रामचंद्र साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2657/07-03-2014	700/23-06-2017
19.	श्री लीलाशाह साख संस्था मर्या., इन्दौर	501/05-09-2013	700/23-06-2017
20.	श्री गुरुतेकचंद सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	2664/07-03-2014	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावन् होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(1725)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1478.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	प्रगतिशील साख संस्था, इन्दौर	403/13-01-1972	700/23-06-2017
2.	प्रतिभा मुर्गी पालन, जामोदी		700/23-06-2017
3.	पूर्वोत्तर सह. साख संस्था मर्या.,	1152/23-03-1993	700/23-06-2017
4.	पार्थनाथ सह. संस्था मर्या.,	1163/23-03-1993	700/23-06-2017
5.	माँ भुवनेश्वरी साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	191/05-09-2013	700/23-06-2017
6.	भारत उदय साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	168/05-09-2013	700/23-06-2017
7.	भारत माता साख संस्था, इन्दौर	240/05-09-2013	700/23-06-2017

1	2	3	4
8.	हरिजन ग्रामीण कुक्कुट पालन, एमाबडोदिया		700/23-06-2017
9.	निर्मल साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	56/05-09-2013	700/23-06-2017
10.	श्री विनायक साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	187/05-09-2013	700/23-06-2017
11.	क्रिस्टल साख	258/05-09-2013	700/23-06-2017
12.	विशाल ईट भट्टा सह. संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017
13.	विकास सहकारी मण्डल साख	265/05-09-2013	700/23-06-2017
14.	दिपक साख संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017
15.	दि केमिस्ट क्रेडिट साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	139/05-09-2013	700/23-06-2017
16.	शिवकृपा साख	072/05-09-2013	700/23-06-2017
17.	शिक्षक कल्याण साख संस्था, इन्दौर	2166/21-12-2004	700/23-06-2017
18.	रिलायबल साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	054/05-09-2013	700/23-06-2017
19.	रिद्धी-सिद्धी विनायक साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2545/03-09-2012	700/23-06-2017
20.	हितकारिणी साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1726)

इन्दौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1520.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आयुषी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2248/28-10-2006	700/23-06-2017

1	2	3	4
2.	ज्वाला ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2249/26-10-2006	700/23-06-2017
3.	माँ काली ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2258/02-11-2006	700/23-06-2017
4.	महालक्ष्मी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2207/12-12-2005	700/23-06-2017
5.	सेनालिका ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2257/01-11-2006	700/23-06-2017
6.	ईशा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2201/12-12-2005	700/23-06-2017
7.	जनहित ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2251/27-10-2006	700/23-06-2017
8.	स्वदेशी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2211/12-12-2005	700/23-06-2017
9.	अरूणोदय ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2210/12-12-2005	700/23-06-2017
10.	माँ अन्नपूर्णा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2312/26-07-2007	700/23-06-2017
11.	शिवशक्ति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2194/01-12-2005	700/23-06-2017
12.	राजेश्वरी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2208/12-12-2005	700/23-06-2017
13.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., इन्दौर	605/24-10-1981	700/23-06-2017
14.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., पिवडाया	603/13-08-1981	700/23-06-2017
15.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., कम्पेल	607/21-10-1980	700/23-06-2017
16.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., हरसोला	603/24-10-1981	700/23-06-2017
17.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., डकाच्या	266/01-10-1980	700/23-06-2017
18.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., बरलाई	-	700/23-06-2017
19.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., कॉकरिया पाल	590/11-08-1981	700/23-06-2017
20.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., संगडोद	668/14-10-1982	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में "द" वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

इन्दौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1521.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	मालवा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., बोंगडदा	-	700/23-06-2017
2.	मों शारदा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., लिम्बोदी	1550/24-02-1995	700/23-06-2017
3.	चन्दा प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., इन्दौर	2163/20-01-2004	700/23-06-2017
4.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर प्राथ. उप. सह. भं. मर्या., इन्दौर	301/05-01-1966	700/23-06-2017
5.	अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., इन्दौर	1839/06-02-1997	700/23-06-2017
6.	श्री अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., इन्दौर	1608/28-07-1994	700/23-06-2017
7.	नवशक्ति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2262/06-11-2006	700/23-06-2017
8.	गीतांजली ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2276/01-12-2006	700/23-06-2017
9.	शहीद भगतसिंह ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2263/06-11-2006	700/23-06-2017
10.	मों भारती ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2267/15-11-2006	700/23-06-2017
11.	सार्वजनिक ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2261/02-11-2006	700/23-06-2017
12.	उँ विश्वरूपेण ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2196/06-12-2005	700/23-06-2017
13.	मालवीय ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2260/02-11-2006	700/23-06-2017
14.	गुरुकृपा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2259/02-11-2006	700/23-06-2017
15.	केशरीनंदन ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2272/29-11-2006	700/23-06-2017
16.	राजलक्ष्मी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2245/30-10-2006	700/23-06-2017
17.	आदिनाथ ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2247/24-10-2006	700/23-06-2017
18.	सुरक्षा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2293/28-12-2006	700/23-06-2017
19.	जोबनेर ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2313/01-03-2007	700/23-06-2017
20.	अर्पिता ईंधन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2246/23-10-2006	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए,

यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्था के पदाधि कारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(1728)

इन्दौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1522.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दीक्षा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1935/24-02-1995	700/23-06-2017
2.	राधाकिशन महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., महु	2140/19-11-2004	700/23-06-2017
3.	साक्षी प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	2173/09-03-2005	700/23-06-2017
4.	मौ नर्मदा प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., तेलीखेडी	2365/07-03-2008	700/23-06-2017
5.	मौ लक्ष्मी प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महूगाँव	2444/14-04-2010	700/23-06-2017
6.	साई कृपा प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., सुतारखेडी	2441/05-06-2010	700/23-06-2017
7.	मौ कालका प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., रसलपुरा, महु	2500/27-04-2011	700/23-06-2017
8.	पायल प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., साँवेर	2318/02-04-2007	700/23-06-2017
9.	ओम शिव गुरुदेव प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., साँवेर	2461/15-09-2010	700/23-06-2017
10.	जय माता दी प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., देपालपुर	2337/08-03-2010	700/23-06-2017
11.	श्रीराम प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., बेटमा	2453/17-08-2010	700/23-06-2017
12.	बालाजी प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., बेटमा	2468/14-12-2010	700/23-06-2017
13.	लक्ष्य प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., बेटमा	2469/24-12-2010	700/23-06-2017
14.	शरण्य प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., रोलाय बेटमा	2472/31-12-2010	700/23-06-2017
15.	मेहंदीपुर बालाजी प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., देपालपुर	2589/20-05-2013	700/23-06-2017
16.	मौ बिजासन प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., देपालपुर	2570/20-05-2013	700/23-06-2017
17.	जय मौ प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., राउ	2434/09-02-2010	700/23-06-2017
18.	श्रमिक प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., राउ	2543/23-03-2010	700/23-06-2017
19.	जीवन संग्रहमठ प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., वार्ड नं. 10, राउ	1513/16-06-1994	700/23-06-2017
20.	राउ महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., राउ	1582/03-01-1995	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1729)

इन्दौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1523.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री रमेश महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., इन्दौर	1476/09-06-1994	700/23-06-2017
2.	महालक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2360/14-03-2008	700/23-06-2017
3.	महारानी लक्ष्मीबाई महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2369/14-03-2008	700/23-06-2017
4.	श्री गणेश महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2507/24-05-2011	700/23-06-2017
5.	माँ भगवती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2767/18-02-2015	700/23-06-2017
6.	श्री सत्यसाई महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2510/16-06-2011	700/23-06-2017
7.	माँ शारदा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1322/27-05-2003	700/23-06-2017
8.	आशा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1647/26-08-1994	700/23-06-2017
9.	महिला जागृति महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., महु	1649/26-08-1994	700/23-06-2017
10.	हर्षिता महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1458/07-06-1994	700/23-06-2017
11.	पिछड़ा वर्ग महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., महु	1639/24-06-1994	700/23-06-2017
12.	स्नेह महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1655/22-08-1994	700/23-06-2017
13.	माँ अहिल्या महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., महु	1669/01-11-1994	700/23-06-2017
14.	अग्रसेन महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1670/01-11-1994	700/23-06-2017
15.	आदर्श महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महु	1755/30-12-1995	700/23-06-2017

1	2	3	4
16.	संगीता महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महू	1263/20-05-1994	700/23-06-2017
17.	महालक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., महू	1660/30-09-1994	700/23-06-2017
18.	दिपीका महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महू	1303/18-11-1995	700/23-06-2017
19.	माँ वैष्णव महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., महू	1914/01-08-1998	700/23-06-2017
20.	स्टेशनरी क्रय-विक्रय महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., महू	1198/09-09-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में "द" वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 05 जनवरी, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1730)

इन्दौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1524.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ पावागढवाली महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., इन्दौर	1291/20-10-1994	700/23-06-2017
2.	भादवा माता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1332/20-05-1994	700/23-06-2017
3.	माँ अन्नपूर्णेेश्वरी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1262/20-05-1994	700/23-06-2017
4.	प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1220/03-06-1994	700/23-06-2017
5.	श्री गणेश महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1478/09-06-1994	700/23-06-2017
6.	वीणा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1493/13-06-1994	700/23-06-2017
7.	माँ उत्तरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1216/20-05-1994	700/23-06-2017
8.	माँ सरस्वती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1221/20-05-1994	700/23-06-2017
9.	आशादीप महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1274/20-05-1994	700/23-06-2017

1	2	3	4
10.	माँ अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1316/26-05-1994	700/23-06-2017
11.	श्री नवशक्ति महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1405/02-06-1994	700/23-06-2017
12.	अर्चना महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1421/03-06-1994	700/23-06-2017
13.	जय अम्बे महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1435/04-06-1994	700/23-06-2017
14.	धनलक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1451/01-06-1994	700/23-06-2017
15.	प्रेरणा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1470/07-10-1994	700/23-06-2017
16.	पुष्पक महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1578/07-07-1994	700/23-06-2017
17.	अनु. जन. जाति महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1231/20-05-1994	700/23-06-2017
18.	गरिमा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1234/20-05-1994	700/23-06-2017
19.	माँ भगवती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1252/20-05-1994	700/23-06-2017
20.	माँ सरस्वती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1403/02-06-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 03 जनवरी, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(1731)

इन्दौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1525.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ वैष्णदेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1690/24-10-1995	700/23-06-2017
2.	जय-विजय महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1313/26-05-1994	700/23-06-2017
3.	शिव महिमा, महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1319/26-05-1994	700/23-06-2017

1	2	3	4
4.	संकट मोचन हनुमान महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1320/26-05-1994	700/23-06-2017
5.	छाया महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1357/27-05-1994	700/23-06-2017
6.	अनुपम महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1502/15-06-1994	700/23-06-2017
7.	शंकर महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1702/07-02-1995	700/23-06-2017
8.	वासु महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1714/28-02-1994	700/23-06-2017
9.	जय संतोषी माँ महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1453/07-06-1994	700/23-06-2017
10.	तरूण महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1310/26-05-1994	700/23-06-2017
11.	रंजीता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1365/27-05-1994	700/23-06-2017
12.	अनु. जाति महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1825/18-03-1997	700/23-06-2017
13.	लक्ष्मीबाई महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2354/04-02-2008	700/23-06-2017
14.	माँ अंजली महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1258/20-05-1994	700/23-06-2017
15.	माँ तारादेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1327/26-05-1994	700/23-06-2017
16.	शुभ लक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1449/04-06-2004	700/23-06-2017
17.	प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1484/10-06-1994	700/23-06-2017
18.	सपना महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1613/30-07-1994	700/23-06-2017
19.	श्री शारदा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1685/20-01-1995	700/23-06-2017
20.	मनमीत महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1664/11-10-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 02 जनवरी, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1732)

इन्दौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1526.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से

की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	गरीब नवाज महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1678/20-01-1995	700/23-06-2017
2.	माँ अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1456/07-06-1994	700/23-06-2017
3.	दामोदर महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1254/20-05-1994	700/23-06-2017
4.	लक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1495/14-06-1994	700/23-06-2017
5.	आरती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1584/11-07-1994	700/23-06-2017
6.	सेवक महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1623/10-08-1994	700/23-06-2017
7.	पल्लवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1653/03-07-1994	700/23-06-2017
8.	माँ चण्डिका महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1238/20-05-1994	700/23-06-2017
9.	इंदिरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1270/20-06-1994	700/23-06-2017
10.	माला महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1346/27-05-1994	700/23-06-2017
11.	साक्षी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2429/30-12-2009	700/23-06-2017
12.	मानसी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1371/27-05-1994	700/23-06-2017
13.	आदर्श महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1416/03-06-1994	700/23-06-2017
14.	महालक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1409/13-06-1994	700/23-06-2017
15.	रोहित महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1323/26-05-1994	700/23-06-2017
16.	मालीपुरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1300/01-06-2004	700/23-06-2017
17.	जयहिन्द महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1402/02-06-1994	700/23-06-2017
18.	मोहिनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1454/07-06-1994	700/23-06-2017
19.	अभिषेक महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1676/01-02-1995	700/23-06-2017
20.	माधव महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2360/14-02-2008	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत् अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत् रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 01 जनवरी, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 नवम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

जयहिन्द मछुआ सहकारी समिति मर्या., सोनपुर, पं. क्र. 170.

कार्यालयीन रिकार्ड तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी पनागर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर मेरे द्वारा आपकी समिति के संबंध में राय बनाई गई है कि:-

- (1) प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि संस्था में कोई भी अभिलेख संधारित नहीं किए गए हैं तथा समिति ने कार्य करना बंद कर दिया है, क्योंकि:-
 - (अ) संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जा रहे हैं.
 - (ब) संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य व्यवसाय/उत्पादन नहीं कर रही है.
 - (स) संस्था द्वारा सदस्यता वृद्धि नहीं की गई है.
 - (द) संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
- (2) समिति ने सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है:-
 - (अ) संस्था ने उपविधि में वर्णित प्रावधानों अनुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित न कर अधिनियम की धारा-49(9) (ए) अनुसार कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.
 - (ब) संस्था की उपविधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह तक अपने वित्तीय पत्रक तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए.
 - (स) अधिनियम की धारा-49(1) अनुसार वार्षिक आमसभा का सूचना-पत्र कार्यालय को नहीं भेजा तथा धारा-49(9)(ए) अंतर्गत 30 दिवस के भीतर आमसभा का कार्यवृत्त कार्यालय को नहीं भेजा.
 - (द) अधिनियम की धारा-56 अनुसार संस्था ने उपविधि के प्रावधानानुसार विवरणियां निर्धारित समयावधि में कार्यालय को प्रेषित नहीं की.
 - (इ) सहकारिता नियम-1962 के नियम-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् सूची का प्रकाशन नहीं किया.
 - (फ) सहकारिता नियम-1962 के नियम-51 के अंतर्गत संस्था ने पक्के चिट्ठे का प्रकाशन कर कार्यालय को अवगत नहीं कराया.

उपरोक्त आधारों पर स्पष्ट है कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है व उसके द्वारा सहकारिता अधिनियम/नियम/उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और वह अपने गठन के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हित के संवर्धन में असफल हो गई है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त कर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए समिति को अवसर प्रदान करता हूँ कि उपरोक्त के संबंध में मय साक्ष्यों के दिनांक 29 नवम्बर, 2017 को कार्यालयीन समय में कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिविक सेंटर मढ़ाताल, जबलपुर में उपस्थित होकर उक्तानुसार बिन्दुवार उत्तर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा उपस्थित होकर उत्तर प्राप्त न होने पर अथवा प्राप्त उत्तर से सहमत न होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कार्यमुक्ति आदेश

क्र./स्था./2017/3400.—मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 1-18/2016/15-2, भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के द्वारा श्रीमती आरती पटेल, सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण) जबलपुर का स्थानांतरण सहायक आयुक्त सहकारिता, उमरिया के पद पर किया गया है. आदेश के परिपालन में नवीन पदस्थी स्थान उमरिया में उपस्थित होने हेतु आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को अपरान्ह में कार्यमुक्त किया जाता है.

(1724)

जी. पी. प्रजापति,
उप आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक महाकल प्रा. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भानपुरा, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 11 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (सी)के अंतर्गत]

महाकाल प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., भानपुरा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 1026, दिनांक 14 अगस्त, 2013 है को उप/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा महाकाल प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., भानपुरा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक 822, मन्दसौर, दिनांक 17 अगस्त, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मैं, अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियों या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह के मध्य मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा.

(1699)

अनिल कुमार जैन,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2017-अग्रहायण 17, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 21 जून, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील अम्बाह, पोरसा, जौरा, कैलारस (मुरैना), विजयपुर, श्योपुर (श्योपुर), भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार, मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर (ग्वालियर), खनियाधाना, पोहरी (शिवपुरी), बम्होरी, कुम्भराज (गुना), जतारा, वलदेवगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), छतरपुर, विजापुर (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, शाहनगर, पवई (पन्ना), बीना, बण्डा, राहतगढ़ (सागर), बटियागढ़, पथरिया, तेन्दूखेड़ा, पटेरा, दमोह (दमोह), मझगावां, उचेहरा, बिरसिंहपुर (सतना), सोहागपुर, जयसिंहनगर, गोहपारू (शहडोल), कोतमा, अनूपपुर (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), सिहावल, कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी), मंदसौर, श्यामगढ़, सीतामऊ, धुन्धड़क्का (मंदसौर), नीमच (नीमच), आलोट (रतलाम), शाजापुर, गुलाना (शाजापुर), बुरहानपुर (बुरहानपुर), सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), बैरसिया (भोपाल), आष्टा (सीहोर), बेगमगंज, बाडी, उदयपुरा (रायसेन), बैतूल, घोड़ा डोंगरी (बैतूल), सोहागपुर, पचमढी (होशंगाबाद), खिड़किया (हरदा), कुण्डम, सीहोरा (जबलपुर), नरसिंहपुर (नरसिंहपुर), मण्डला, बिछिया, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), बिछुआ, हरई, पांढुर्णा, जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, छपारा (सिवनी), बालाघाट, लांजी, बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- तहसील मुरैना, सबलगढ़ (मुरैना), शिवपुरी, पिछोर, नरवर, करैरा (शिवपुरी), अशोकनगर, ईसागढ़ (अशोकनगर), पृथ्वीपुर, टीकमगढ़ (टीकमगढ़), राजनगर (छतरपुर), खुरई, केसली, मालथोन (सागर), नागोद, अमरपाटन, मैहर (सतना), सिरमोर, रामपुरकुर्चिलियान (रीवा), जेतहारी (अनूपपुर), गोपदबनास (सीधी), संजीत (मंदसौर), मनासा (नीमच), राबटी (रतलाम), महिदपुर (उज्जैन), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), इच्छावर, नसरुल्लागंज (सीहोर), गोहरगंज (रायसेन), शाहपुर, मुलताई (बैतूल), होशंगाबाद, सिवनी-मालवा (होशंगाबाद), हरदा (हरदा), जबलपुर, पाटन (जबलपुर), गाडरवाडा (नरसिंहपुर), नैनपुर (मण्डला), बारासिवनी (बालाघाट), लखनादौन, धनोरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक- तहसील बदरवास (शिवपुरी), मुँगावली, चंदेरी (अशोकनगर), गुना, आरोन (गुना), निबाड़ी (टीकमगढ़), नौगांव, बक्सवाह, बड़ामल्हरा (छतरपुर), रेहली, देवरी, गढ़ाकोटा, सागर (सागर), हटा, जवेश (दमोह),

रघुराजनगर (सतना), हजूर, गुढ़ (रीवा), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), कयामपुर (मंदसौर), जावरा (रतलाम), नागदा (उज्जैन), कसरावद (खरगौन), खिलचीपुर (राजगढ़), बजाग (डिण्डोरी), तामिया, मोहखेड़ (छिन्दवाड़ा), घंसोर (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 से 244.9 मि.मी. तक- तहसील ओरछा (टीकमगढ़), रामपुरबघेलान, रामनगर (सतना), बुढ़ार (शहडोल), सेलाना, बाजना, तालपिपलोदा, रतलाम (रतलाम), खाचरोद, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), खरगौन, बडवाह, महेश्वर, सेगांव, भगवानपुरा, झिरन्या (खरगौन), सीहोर (सीहोर), टीमरनी (हरदा), तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, सागर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, देवास, राजगढ़, होशंगाबाद, जबलपुर में जुताई कार्य कहीं-कहीं चालू है तथा जिला ग्वालियर में धान रोपाई कार्य चालू है।

3. बोनी.- जिला ग्वालियर, शहडोल, देवास, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर में खरीफ फसलों का बोनी कार्य चालू है।

4. फसल स्थिति- नरसिंहपुर में नैत्रांकन के आधार पर पानी से पांच से दस प्रतिशत फसल प्रभावित हुई है।

5. कटाई.- जिला पन्ना, सीहोर, भोपाल में जायद की फसलों की कटाई कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, सिंगरौली, जिला डिण्डोरी की तहसील तामिया में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 21 जून, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	17.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	2.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	25.4				
4. जौरा	7.0				
5. सबलगाढ़	24.0				
6. कैलारस	15.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	4.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	9.0				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	2.0		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	12.0				
4. मेहगांव	1.0				
5. लहार	2.0				
6. मिहोना } 7. रौन }	2.0				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू, धान रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	8.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सेवड़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	22.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछौर	20.0		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	4.0				
4. नरवर	37.0				
5. करैरा	33.8				
6. कोलारस	17.0				
7. पोहरी	16.0				
8. बदरवास	35.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	48.0		4. (1) मक्का, गेहूँ, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	29.0		(2) . .		
3. अशोकनगर	25.0				
4. चन्देरी	51.0				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	44.8		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) समान.		
3. बमोरी	11.0				
4. आरोन	47.0				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	5.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	37.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	19.0		(2) . .		
3. जतारा	5.0				
4. टीकमगढ़	17.6				
5. बल्देवगढ़	5.0				
6. पलेरा	17.0				
7. ओरछा	69.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	42.4				
4. छतरपुर	14.0				
5. राजनगर	18.8				
6. बिजावर	15.0				
7. बड़ामलहरा	52.6				
8. बक्सवाहा	41.0				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई कार्य चालू रहा है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	10.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	13.2		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	6.2				
5. शाहनगर	2.0				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बीना	2.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	30.8		(2) अधिक.		
3. बण्डा	9.3				
4. सागर	. .				
5. रेहली	42.0				
6. देवरी	40.0				
7. गढ़ाकोटा	40.6				
8. राहतगढ़	5.0				
9. केसली	26.0				
10. मालथोन	20.6				
11. शाहगढ़	37.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	38.0		4. (1) गन्ना, मूँ, जायद, उड़द, जायद.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	16.0		(2) सुधरी.		
3. दमोह	7.0				
4. पथरिया	5.0				
5. जवेरा	37.0				
6. तेन्दूखेड़ा	14.8				
7. पटेरा	10.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	48.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	5.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	65.0				
4. नागौद	31.9				
5. उचेहरा	10.0				
6. अमरपाटन	19.0				
7. रामनगर	63.0				
8. मैहर	27.0				
9. बिरसिंहपुर	9.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	23.0		(2) समान.		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	40.0				
6. गुढ़	39.0				
7. रायपुरकर्चुलियान	34.0				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	11.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहपारू	4.5				
4. जैसिंहनगर	3.0				
5. बुड़ार	60.0				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	29.3		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	15.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	12.3				
4. पुष्पराजगढ़	41.1				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बांधवगढ़	9.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	5.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	23.6		4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	3.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	6.0				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	3.7				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंडसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंडसौर	7.0				
6. श्यामगढ़	4.1				
7. सीतामऊ	1.4				
8. धुंधड़क्का	5.0				
9. संजीत	19.3				
10. कयामपुर	42.0				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	5.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	28.0				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	40.0		4.(1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ताल	53.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. आलोट	15.0				
4. सैलाना	103.0				
5. बाजना	71.0				
6. रावटी	22.0				
7. पिपलोदा	121.0				
8. रतलाम	55.8				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	104.0		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	32.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	90.0				
4. घटिया	112.0				
5. उज्जैन	101.0				
6. बड़नगर	113.0				
7. नागदा	41.0				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बडौद	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	8.0		(2) मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	5.0				
5. गुलाना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. खातेगांव	..				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, बोनी चालू.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) मक्का, सोयाबीन, कपास.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. भामरा	..				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	55.7		4. (1) मक्का, तुअर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	156.4		ज्वार, धान, बाजरा, कपास,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	67.0		मूँगफली, गेहूँ, अलसी,		
4. खरगौन	95.7		राई-सरसों कम.		
5. गोगावां	68.0		(2) समान.		
6. कसरावद	51.0				
7. भगवानपुरा	67.7				
8. भीकनगांव	147.0				
9. झिरन्या	115.7				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. मौसम खरीफ बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम. (2) गन्ना, मक्का, ज्वार, अधिक. कपास कम.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. . .
1. अन्जड	..				
2. बड़वानी	..				
3. ठीकरी	..				
4. (राजकोट) राजपुर	..				
5. सेंधवा	..				
6. पानसेमल	..				
7. पाटी	..				
8. बरला	..				
9. निवाली	..				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. पुनासा	..				
4. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. कपास की बोनी चालू	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	10.4				
2. खकनार	29.1				
3. नेपानगर	31.0				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	37.6				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	3.0				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	10.0				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	6.3				
2. हुजूर	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	62.0				
2. आष्टा	9.0				
3. इच्छावर	21.0				
4. नसरुल्लागंज	32.0				
5. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी कार्य चालू	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	119.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	13.6				
4. गोहरगंज	21.0				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	16.0				
8. उदयपुरा	9.1				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	16.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	22.2				
4. चिचोली	11.1				
5. बैतूल	2.4				
6. मुलताई	30.0				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी कार्य चालू	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	28.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	17.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	12.0				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढी	3.2				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. हरदा	35.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	8.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	97.6				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	7.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	17.7		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	24.6				
4. मझोली	..				
5. कुण्डमपुर	1.0				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू	3. पानी से कुछ हल्के में 5 से 10% प्रभावित हुई है.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	18.0			6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		4. (1) तुअर, धान, अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	7.0		सोयाबीन, गन्ना कम.		
4. गोटेगांव	..		(2) ..		
5. तेंदूखेड़ा	45.4				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	3.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	20.0				
4. मण्डला	7.8				
5. घुघरी	4.7				
6. नारायणगंज	1.7				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	11.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	38.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	15.1				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	13.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..				
4. तामिया	40.0				
5. सोंसर	..				
6. पांढुर्णा	11.2				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	19.4				
9. बिछुआ	6.2				
10. हरई	5.8				
11. बोलखेड़ा	38.4				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	7.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	3.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	31.0				
4. बरघाट	3.0				
5. कुरई	..				
6. घंसोर	41.0				
7. घनोरा	24.4				
8. छपारा	2.4				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. अपर्याप्त.
1. बालाघाट	1.0		4. (1) समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	4.1		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	15.0				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	22.4				

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.